संख्या– /X-2-2020-19(24)2020

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक
वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून
पंजीकरण सं० 2382
पत्रावली सं०
दिनांक 02/09/2020

सेवा में,

अपर महानिदेशक (वन्य जीव),
स्टेन्डिग कमेटी, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड,
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार,
नई दिल्ली।

वन अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 31 अगस्त, 2020

विषय–उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के शिवपुरी राजि के आरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत चन्द्रभागा नदी तल से चुगान के सम्बन्ध में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनुमति हेतु प्रस्ताव।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के शिवपुरी राजि के आरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत चन्द्रभागा नदी तल से चुगान के सम्बन्ध में प्रस्ताव को उत्तराखण्ड राज्य वन्यजीव सलाहकार परिषद् की बैठक दिनांक 29 जून, 2020 में विचारार्थ रखा गया था, सम्यक विचारोपरांत राज्य वन्यजीव सलाहकार परिषद् द्वारा इस प्रकरण को राष्ट्रीय वन्यजीव सलाहकार परिषद् के विचारार्थ रखे जाने हेतु अनुमोदित किया गया है। **(छायाप्रति संलग्न)**

2– अतः उत्तराखण्ड राज्य वन्यजीव सलाहकार परिषद की उक्त सहमति के क्रम में प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, के पत्र संख्या–608/12-1, दिनांक 21.08.2020 द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव को निर्धारित प्रपत्र/भाग–05 पर अनुमोदन के साथ संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्ताव को राष्ट्रीय वन्यजीव सलाहकार परिषद के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही से राज्य सरकार को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

संख्या– 1699 /X-2-2020-19(24)2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

C.P.O.

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

प्र०व०सं० (ब०जी०)
01.09.20

मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 29 जून 2020 को सम्पन्न उत्तराखण्ड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 15वीं बैठक का कार्यवृत्त।

उत्तराखण्ड राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक मा0 मुख्यमंत्री, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी की अध्यक्षता एवं डा0 हरक सिंह रावत, मा0 वन एवं पर्यावरण मंत्री की उपस्थिति में सम्पन्न हुयी। बैठक में बोर्ड के सम्मानित मा0 सदस्यगण, मा0 मुख्य सचिव व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। (उपस्थिति विवरण <u>संलग्न–क</u>)।

सर्वप्रथम प्रमुख सचिव, वन द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी व प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) द्वारा मा0 वनमंत्री जी व प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, द्वारा मा0 मुख्य सचिव का स्वागत किया गया। स्वागत किये जाने के उपरांत मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड द्वारा बैठक के एजेण्डे पर प्रकाश डाला गया।

सर्वप्रथम दिनांक 26 नवम्बर 2019 को आयोजित बैठक के प्रस्तावों पर अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई।

<u>एजेण्डा सं0 1–क.</u>

<u>(क) कॉर्बेट टाईगर रिजर्व व राजाजी टाईगर रिजर्व में बाघों व जंगली हाथियों</u> की <u>धारण क्षमता का निर्धारण।</u>

अवगत कराया गया कि कॉर्बेट टाईगर रिजर्व व राजाजी टाईगर रिजर्व में बाघों व जंगली हाथियों की धारण क्षमता के निर्धारण के अध्ययन हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि शीघ्र अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुये आगामी बैठक में प्रगति से अवगत कराया जाय।

<u>(ख) संरक्षित क्षेत्रों के बाहर उपयुक्त वन क्षेत्रों में एंगलिंग हेतु अनुमति दिये जाने के संबंध में।</u>

बोर्ड द्वारा पूर्व बैठक में लिये गये निर्णय का अनुपालन न होने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) से यह अपेक्षा की गयी कि उनके द्वारा एंगलिंग पर रोक संबंधी जारी किये गये आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाय एवं प्रगति से आगामी बोर्ड बैठक में अवगत कराया जाय।

<u>एजेण्डा सं0 1–ख:–</u> उत्तराखण्ड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 14 वीं बैठक जो 26 नवम्बर, 2019 को सम्पन्न हुई, जिसमें संरक्षित क्षेत्रों के अन्तर्गत एवं संरक्षित क्षेत्रों के 10 कि0मी0 परिधि मे आने वाले वन भूमि हस्तान्तरण एवं अन्य प्रकरणों से सम्बन्धित हैं, की

5--जनपद देहरादून के अंतर्गत ऋषिकेश लाल पानी कक्ष संख्या–1 में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, निस्तारण एवं प्रोसेसिंग प्लान्ट हेतु 10 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु नगर निगम को लीज पर दिये जाने के संबंध में।	मुख्य नगर आयुक्त ,ऋषिकेश	प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून	राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के विचारार्थ रखे जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
6--उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा जनपद नैनीताल के तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र की नदी तल कोसी--दाबका भाग–2 नदी से उपखनिज चुगान के सम्बन्ध में	उत्तराखण्ड वन विकास निगंम	प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर	राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के विचारार्थ रखे जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
7–उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा रामनगर वन प्रभाग के कालाढूँगी राजि के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र की नदी तल निहाल से उपखनिज चुगान के सम्बन्ध में	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर	राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के विचारार्थ रखे जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
8–उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा नरेन्द्र नगर वन प्रभाग के शिवपुरी राजि के आरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत चन्द्रभागा नदी तल से उपखनिज चुगान के सम्बन्ध में.	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्र नगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती	राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के विचारार्थ रखे जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।